

भाग - 4

बोर्ड के कृत्य एवं शक्तियां

17. बोर्ड के कृत्य:-

- (1) बोर्ड का मवरं , आससे ईपाबद्ध भिनों को सममवित करते हए तथा अन्य समस्त भिनोंु एि भं वमयोंू , वजनका प्रशासन आसमें वनवहत हैं , को अच्छी हाित तथा सअैस्था में परररवित करेगा तथा ु बनाए रखेगा। परन्त यह ह ैु वक वनज मवन्दर तथा अन्य स्थानों , वजनसे धावमाक पवित्रता सिग्र हैं , के पनरूद्धार तथा जीणोद्धार एि पररमाजान से समबवन्धत सं कमा धमां नसार ऐसे स्थानों की ु पवित्रता को अपवित्र वकये वबना कायावन्ित वकये जायेंगे।
- (2) बोर्ड का मवन्दर के विए तथा के वनवमत्त प्राि की गइ समस्त अवपात िस्तओु एि भेंटों की प्रावि एि ं व्ययन के विए आन्तजाम करेगा तथा ईसका ईवचत िेखा रखेगा।
- (3) बोर्ड का मवन्दर की वनवधयों की समवचत अवभरिु , वनिप एि विवन्धान के विए आन्तजाम करेगा ं तथा आसके स्टाि को यथोवचत ईपिवब्धयों के सदाय के विए ईपबन्ध करेगा।ं
- (4) बोर्ड का मवन्दर वनवधयों, मलयान प्रवतभू वतयोंू , अवभिखों, दस्तािेजों, मवन्दर अभषणों तथा मवन्दर ू से समबवन्धत अन्य अवस्तयों की सरवित अवभरिा सु वनवश्चत करेगा तथा आस प्रयोजनाथा मवन्दर ु से समबवन्धत समस्त अभषणोंू , गहनों तथा अन्य मलयान िस्तू ओु का वकसी ख्यावत प्राि ं बीमा कम्पनी में अग, चोरी या वकसी अन्य प्राकृ वतक विपवत्त से हावन के प्रवत बीमा करियेगा।

- (5) बोर्ा धमानसार मवन्दु र में व्मिस्था , अेनशासन तथा समु वचत
संिास्य कर अिस्थायें बनाये ु रखना, सवनवश्चत करेगा।ु